न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-503RAAJodhpur2022-317RTA225 Sukharam ors Vs Mangilal etc

01. सुखराम पुत्र हरचन्दराम
02. उदाराम पुत्र पोकरराम
03. रामकिशन पुत्र पोकरराम
04. सुखराम पुत्र पोकरराम
05. लाखाराम पुत्र जगमालराम
06. किशनाराम पुत्र जगमालराम
07. पांचाराम पुत्र जगमालराम

जातियान् विश्नोई, निवासीगण– ग्राम नोसर, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. मांगीलाल पुत्र भेराराम जाति विश्नोई, निवासीगण– ग्राम नोसर, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 01 दिसंबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 163/2022 सुखराम व अन्य बनाम मांगीलाल इत्यादि

उपस्थित–
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 22 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 163/2022 अनवान सुखराम व अन्य बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 दिसंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 06 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 215 रकबा 4.2654 हैक्टेयर, ग्राम नौसरके संबंध धारा 188 व 92–ए आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2022 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण ग्राम नोसर के खसरा नं. 215 के रेकर्डेड खातेदार है। प्रत्यर्थीगण जो खसरा नं. 217/1 के खातेदार है। उक्त दोनो खसरे चिपते हुए है तथा अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पत्थरगढी का आदेश दिनांक 17.06.2022 तथा मौका फर्द दिनांक 24.03.2022 पेश की थी। जिससे यह स्पष्ट था कि प्रत्यर्थी संख्या एक अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 215 में अवैध पक्का निर्माण कर रहा है, इस कारण प्रथमदृष्टया केस अपीलार्थीगण के पक्ष था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा संपूर्ण राजस्व रेकर्ड को देखे बिना तथा मौका रिपोर्ट मंगाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 01.12.2022 को आदेश 26 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, उस प्रार्थना को भी आदेशाकाओ में खारिज कर दिया तथा प्रत्यर्थी को अपीलार्थीगण की भूमि पर अवैध निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकरण में वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 215 रकबा 4.2654 हैक्टेयर का पड़ौसी खातेदार प्रत्यर्थी संख्या एक जो कि खसरा नं. 217/1 का खातेदार है व अपनी खातेदारी से अधिक भूमि जो अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, पर काबिज होकर निर्माण करवा रहा है। यह तथ्य अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित किया गया, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदारी में दखलंदाजी करने पर आमादा है। इसलिए रेस्पोडेंट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 दिसंबर 23022 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की स्वतंत्र खसरान् की भूमिया है तथा मौके पर तारबंदी की हुई है जो अपीलांट्स स्वयं स्वीकार करते है। यदि मौके पर भूमि कम ज्यादा है तो अपीलांट्स विहित प्रक्रिया अनुसार कब्जा हटाने का दावा कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत सुस्पष्ट आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से तथा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स खसरा नं. 215 रकबा 4.2654 हैक्टेयर के रेकर्डेड खतेदार है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक खसरा नं. 217/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नं. 222/2 रकबा 7.1305 हैक्टेयर का रेकर्डेड खातेदार है। उक्त भूमियॉ उभय पक्ष की स्वतंत्र खातेदारी की भूमियॉ है तथा राजस्व नक्शे में स्वतंत्र सीमाओं से आबद्ध से पृथक–पृथक तरमीम है। रेस्पोडेंट संख्या एक को अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी किये जाने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। विचारण न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को संरक्षित किया जाना न्याय हित में उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थय योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 163/2022 अनवान सुखराम व अन्य बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 दिसंबर 2022 अपास्त किया जाकर रेस्पोडेंट्स को वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 215 रकबा 4.2654 हैक्टेयर ग्राम नोसर के मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादग्रस्त आराजी में निर्माण कार्य नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर